कार्यालय : जिला एवं सैशन न्यायाधीश, धौलपुर

क्रमांक : स्था./2014/92 दिनांक : 15-7-14

–:विज्ञप्ति:–

धौलपुर जिला न्यायक्षेत्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वर्तमान में रिक्त चल रहे 23 पदों पर राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 के अन्तर्गत रनिंग पे–बैण्ड–पी.बी.–1 5200–20200+ग्रेड पे–1700 रूपये प्रतिमाह में उक्त नियमों के नियम 21 व संशोधित आदेश संख्या एफ–14 (1) एफ.डी. (नियम)/2013–II दिनांक 28.06.13 के तहत परीविक्षा अवधि में 2 वर्ष तक देय समेकित वेतन 5400/– रूपए प्रतिमाह पर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 के अन्तर्गत भर्ती–नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दी गई शर्तों व निर्धारित नियमों के अनुसार आमंत्रित किये जाते हैं। जिनका वर्गानुसार विवरण निम्न प्रकार है :–

पद का नाम	रिक्तियों की संख्या				योग
	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	14	03	02	04	23

महिला व अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के नियमानुसार आरक्षण देय होगा। ये रिक्तियां पूर्णतया अस्थई हैं। इनकी संख्या प्रशासनिक कारणों से घटाई या बढ़ाई जा सकती है। दो वर्ष की अवधि संतोषप्रद होने पर कार्यकाल बढ़ाया जायेगा एवं नियमित वेतन श्रृंखला में वेतन देय होगा। अभ्यर्थी के लिए निम्नलिखित योग्यता एवं शर्तें लागू होगी :–

1– आयु :–

आवेदक की आयु दिनांक 01.01.15 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। राज्य कर्मचारी./भूतपूर्व सैनिक/अनु.जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/विधवा महिला/विवाह विछिन्न महिला आदि वर्ग को आयु सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी। इस हेतु सम्बन्धित प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

2– शैक्षणिक योग्यता :–

उक्त पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को किसी राजकीय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल से कम से कम पांचवी कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए तथा देवनागरी लिपि में हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए।

3– शारीरिक योग्यता :–

आवेदक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो उसके कार्य निष्पादन में बाधा

उत्पन्न करता हो। नियुक्ति के समय प्रत्याशी को सक्षम चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4– पेंशन योजना व स्थाई पारितोषण :–

राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ. 15(7) एफ डी (रूल्स) 97 दिनांक 14.01.2004 तथा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ–12 (8) एफ.डी. (रूल्स)/5 दिनांक 13.03.2006 के अन्तर्गत नियुक्ति योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थी पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना, मेडिकल अटेंडेंट रूल्स तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि एवं स्थाई पारितोषण पर सभी नए नियम लागू होंगे।

5– राष्ट्रीयताः–

आवेदक भारत का नागरिक हो या नेपाल या भूटान का प्रजाजन हो अथवा उक्त नियमों के नियम–11 के अनुसार भारत का नागरिक होने हेतु अर्हता प्राप्त हो।

6– पात्रता एवं चरित्र :–

आवेदक को दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र जो आवेदक के रिश्तेदार न हों एवं 06 माह से अधिक पुराने नहीं हो, भी आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे। अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आवेदन के साथ जाति प्रमाण–पत्र की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तत करना आवश्यक है।

7– आवेदन पत्र की अन्तिम तिथि :–

आवेदन पत्र दिनांक 07.08.14 को सांयकाल 05 बजे तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये। उपरोक्त अन्तिम तिथि व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा उन्हें निरस्त कर फाईल कर दिया जायेगा।

8– सन्तान सम्बन्धी सूचना :–

राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक 10 (3)/कार्मिक/क–2/75/पार्ट–II दिनांक 29.10.04 व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पृष्ठांकन संख्या सामान्य/19/मिस./1245/2004/1816 दिनांक 30.11.04 के अनुसार दिनांक 01.06.02 या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हों, ऐसे आवेदक उक्त पद की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। अतः समस्त विवाहित स्त्री/पुरूष इस आशय का घोषण–पत्र संलग्न प्रारूप में प्रार्थना–पत्र के संलग्न करें कि उनके दिनांक 01.06.02 अथवा उसके पश्चात दो से अधिक संतान उत्पन्न नहीं हुई है।

घोषणा–पत्र

मैं ....पुत्र/पुत्री श्री...................................निवासी..
यह घोषणा करता/करती हूं कि मेरे दिनांक 01.06.02 के पश्चात् तीसरी सन्तान नहीं हुई है तथा विवाह के समय दहेज स्वीकार नहीं किया है।

9– नियुक्ति के लिए निरर्हता :–

1. कोई भी पुरूष या महिला अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नीयां / पति है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी, जब तक कि सरकार इस बात से समाधान कर लेने के पश्चात कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के किसी अभ्यर्थी पर लागू होने से छूट न दे दे।
2. कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा / होगी, यदि उसने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

10– विवाह पंजीयन :–

राजस्थान सरकार के परिपत्र संख्या प. 7(3) कार्मिक / क–2 / 2006 दिनांक 30.06.06 के अनुसार आवेदक के विवाहित होने की दशा में आवेदन–पत्र में अपने पति / पत्नी के नाम का उल्लेख करना होगा तथा जिन आशार्थियों का विवाह 22.05.06 या उसके पश्चात हुआ है, वे विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न प्रस्तुत करेंगे तथा दिनांक 22.05.06 के पूर्व विवाहित हुए अथवा अविवाहित अभ्यर्थियों को निम्नांकित प्रारूप में (जो भी लागू हो) शपथ–पत्र प्रस्तुत करेंगे।

<u>शपथ–पत्र</u>

मैं श्री / सुश्री / श्रीमती.................................पुत्री / पुत्र श्री / श्रीमती................................. .....निवासी ....शपथपूर्वक बयान करता / करती हूं कि मेरा विवाह श्रीमती / श्री...निवासी...के साथ संपन्न हुआ है, परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक ....को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमती / श्री.................................निवासी..................................के साथ दिनांक ....को राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मैं ....अविवाहित हूं। विवाह के समय दहेज स्वीकार नहीं करूंगा / करूंगी।

या

मै.....................................विधुर / विधवा हूं (पत्नी / पति श्री / श्रीमती................................ था।)

11. दोषसिद्व न होने बावत् :–

प्रत्येक आवेदक आवेदन के साथ इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्व किया जाकर दण्डित नहीं किया गया है एवं उसके

विरूद्ध किसी प्रकार का कोई दाण्डिक मामला न्यायालय में लम्बित नहीं है और यदि लम्बित है तो उसका विवरण शपथ–पत्र में अंकित करेगा।

शपथ–पत्र
मैं श्री / सुश्री / श्रीमती................................पुत्री / पुत्र श्री / श्रीमती...................................... निवासी ....शपथपूर्वक बयान करता / करती हूं कि मेरे विरूद्ध भारत के किसी भी न्यायालय में कोई दाण्डिक प्रकरण लम्बित या संस्थित नहीं है एवं ना ही किसी न्यायालय द्वारा मुझे किसी अपराध के लिए दोषसिद्व ठहराया गया है।

12– आवेदन–पत्र :–

आवेदन प्रकिया :– इस भर्ती हेतु अभ्यर्थी को कार्यालय की वेबसाईट http://ecourts.gov.in/dholpur से दिनांक 15.07.14 से आवेदन–पत्र डाउनलोड कर समस्त वांछित सुसंगत सूचनांए निर्धारित प्रारूप में भरकर प्रभारी अधिकारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती समिति, जिला एवं न्यायालय, धौलपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, उसके पिता का नाम, जाति, स्थाई पता, वर्तमान पता, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, राष्ट्रीयता तथा आरक्षित वर्ग के नाम का उल्लेख हो। आवेदन के अन्त में दिनांक सहित अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अंकित होने चाहिए। यदि अभ्यर्थी वर्तमान में कहीं सेवारत हो तो उसका आवेदन में उल्लेख करें। राजकीय सेवारत कर्मचारी अपने विभाग के माध्यम से प्रार्थना–पत्र प्रेषित करे। अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और उसकी पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को प्रेषित नहीं की जायेगी। अभ्यर्थी को आवेदन के साथ निम्न दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी :–

1. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्रों की प्रति।
2. जन्म तिथि प्रमाण पत्र की प्रति।
3. आरक्षण चाहने / आयु में छूट चाहने के इच्छुक अभ्यर्थी का जाति प्रमाण–पत्र।
4. दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के चरित्र प्रमाण–पत्र।
5. कम संख्या 8 के अनुसार अपेक्षित घोषणा। (10 / – रूपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)
6. विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति अथवा कम संख्या 10 के अनुसार अपेक्षित शपथ–पत्र (10 / – रूपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)
7. कम संख्या 11 के अनुसार अपेक्षित शपथ–पत्र (10 / – रूपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

13– साक्षात्कार :–

पूर्ण एवं सही आवेदन पत्र वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 13.09.14 को प्रातः 11 बजे से इस कार्यालय में लिया जायेगा। साक्षात्कार हेतु योग्य पाये गये अभ्यर्थियों की सूची एवं न्यायालय के सूचना पट्ट पर दिनांक 17.08.14 को प्रातः 11 बजे चस्पा की

जायेगी। साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को कोई यात्रा भत्ता इस कार्यालय द्वारा नहीं दिया जावेगा। साक्षात्कार में किसी प्रकार की सिफारिश करने/कराने वाले प्रत्याशी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। उसका साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा। जिन प्रमाण–पत्रों की सत्य प्रतिलिपियां आवेदन–पत्र के साथ संलग्न की जावे, वे मूल प्रमाण–पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे।

14:– अन्तिम परिणाम :–

अन्तिम परिणाम साक्षात्कार होने के 07 दिवस के अन्दर घोषित कर दिया जावेगा। जिसकी सूचना जिला एवं सैशन न्यायालय, धौलपुर के नोटिस बोर्ड व इस कार्यालय की वेबसाईट पर देखी जा सकती है।

जिला एवं सैशन न्यायाधीश,
धौलपुर (राज.)

क्रमांक : स्था./2014/2013-60 दिनांक : 17/7/14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
3. जिला एवं सैशन न्यायाधीश...
4. जिला कलक्टर, धौलपुर
5. नियोजन कार्यालय, धौलपुर
6. इस न्यायक्षेत्र के समस्त अधीनस्थ न्यायालय...............................
7. नोटिस बोर्ड, अदालत हाजा
8. आदेश/सम्बन्धित पत्रावली

जिला एवं सैशन न्यायाधीश,
धौलपुर (राज.)

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन–पत्र

1.	नाम	:	....	पासपोर्ट साइज फोटो यहां लगायें
2.	पिता / पति का नाम	:	....	
3.	जन्म तिथि	:	....	
4.	राष्ट्रीयता	:	....	
5.	जाति	:	....	
6.	आरक्षित वर्ग	:	....	
7.	स्थाई पता	:	....	
8.	वर्तमान पता	:	....	
9.	शैक्षणिक योग्यतांए	:	....	

10. दिनांक 01.01.15 को आयु वर्ष......................माह..................दिन............

11. अन्य कोई अनुभव / योग्यता..

12. वर्तमान नियुक्ति यदि कोई ....
हो पद / सेवा की अवधि /
पदनाम

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर प्रार्थी

आवेदन–पत्र के साथ निम्न दस्तावेजात आवश्यक रूप से निम्न कमानुसार संलग्न किये जावे :–

1. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्रों की प्रति।
2. जन्म तिथि प्रमाण पत्र की प्रति।
3. आरक्षण चाहने / आयु में छूट चाहने के इच्छुक अभ्यर्थी का जाति प्रमाण–पत्र।
4. दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के चरित्र प्रमाण–पत्र।
5. विवाह सम्बन्धी प्रमाण–पत्र की प्रति / शपथ–पत्र।
6. दो से अधिक संतान न होने का शपथ–पत्र।
7. विज्ञप्ति में अंकित कम संख्या 11 के अनुसार शपथ–पत्र।